COVID-19

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः–एफ 13/1/सामान्य/वीएस/डीईएस/2020/247 दिनांकः 12/05/2021

परिपत्र

विषयः– कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर के कारण लॉकडाउन/कर्फ्यु अवधि में जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु निर्धारित 21 दिवस में शिथिलता बाबत्।

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानो के अर्न्तगत जन्म–मृत्यु की घटना का 21 दिवस मे पंजीकरण अनिवार्य है तथा 21 दिवस के पश्चात विलम्ब शुल्क 1/–रूपया और अनुज्ञा लेकर रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन किया जाता हैं।

वर्तमान मे वैश्विक महामारी काविड–19 की द्वितीय लहर के प्रभाव के कारण राज्य में लॉकडाउन/कर्फ्यु लागू है। ऐसी स्थिति मे संस्थानिक और गैर संस्थानिक जन्म–मृत्यु की घटनाओ की समय पर सूचना प्राप्त नही होने के कारण निर्धारित अवधि 21 दिवस में पंजीयन नही हो पा रहे है।

अतः जन्म–मृत्यु की घटनाऐं जो लॉकडाउन/कर्फ्यु लागू होने की तिथि के दौरान घटित हुई हैं तथा जिनका पंजीयन निर्धारित अवधि में नही किया गया अथवा कराया गया है तो ऐसी घटनाओ के पंजीयन के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान की जाती है तथा उक्त अवधि मे पंजीयन नही होने पर विलम्ब शुल्क 1 रूपया देय नही होगा तथा ऐसी घटनाओ के पंजीयन के लिए उक्त अवधि में अनुज्ञा की आवश्यकता नही होगी।

यह भी उल्लेखनीय है की उक्त शिथिलता केवल लॉकडाउन/कर्फ्यु लागू होने की अवधि से 21 दिवस पूर्व तथा लॉकडाउन/कर्फ्यु समाप्त होने की अवधि से 21 दिवस पश्चात तक ही मान्य होगी।

भवदीय

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः—एफ 13 / 1 / सामान्य / वीएस / डीईएस / 2020 / 247 दिनांकः 12 / 05 / 2021

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार, 2A, मानसिहँ रोड गृह मंत्रालय नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग,राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर समस्त।
4. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय झालाना डूंगरी राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, स्थानिय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
8. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एव आयुक्त, नगर निगम समस्त।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त।
10. रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एव आयुक्त, नगर परिषद / नगर पालिका समस्त।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी मुख्यालय।
12. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं उप / सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त ।
13. ब्लॉक विकास अधिकारी एवं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी समस्त।
14. रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) / उप रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) समस्त।

संयुक्त निदेशक(जीवनांक)